न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/330/2017

उनवान

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी सोहनलाल लढा निवासी हरणी महादेव रोड़, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा
2. श्रीमती माया देवी पत्नी राजेश लढा निवासी हरणी महादेव रोड़, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भूरालाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. श्री माधुलाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
3. श्री सुखदेव पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
4. गीता पुत्री चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
5. श्री बालू पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
6. श्री नारायण पिता त्रिलोक गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
7. श्रीमती एजी पत्नी त्रिलोक गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
9. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 240/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस0एल0आगाल , अधिवक्ता अपीलाथीगर्ण
2. श्री पी0आर0चौधरी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1से7
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 92 ए, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाथड़ियास पटवार क्षेत्र बिलिया कलां तहसील भीलवाड़ा में वादीगण के हक अधिकार की कृषि आराजियात आ0नं0 58 रकबा 6बीघा 11 बिस्वा, आ0नं0 120 रकबा 09 बिस्वा, आ0नं0 121 रकबा 19 बिस्वा, आ0नं0 122 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 123 रकबा 16 बिस्वा, आ0नं0 172 रकबा 1बीघा 12 आ0नं0 201 रकबा 03 बिस्वा, आ0नं0 203 रकबा 4बीघा 05 बिस्वा, आ0नं0 272 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, आ0नं0 274 रकबा 2बीघा 17 बिस्वा, आ0नं0 277 रकबा 1बीघा 02 बिस्वा, आ0नं0 278 रकबा 18 बिस्वा, आ0नं0 402 रकबा 01बीघा , आ0नं0 432 रकबा 19 बिस्वा, आ0नं0 449 रकबा 01बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 460 रकबा 02बीघा 17 बिस्वा,कुल किता 16 कुल रकबा 30 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजीयात के साबिक आ0नं0 48, 47मी, 124मी, 124मी, 124मी, 166, 187, 188, 189, 257/1, 257/2, 257/2, 261, 260, 371, 391, 405, 416 बने हैं। इसी प्रकार अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते की ग्राम नाथड़ियास में नवीन आराजी नम्बर 285 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, आ0नं0 286 रकबा 04बिस्वा, आ0नं0 287 रकबा 01 बीघा 19बिस्वा, आ0नं0 288 रकबा 01 बीघा 01बिस्वा, आ0नं0 292रकबा 02 बीघा 03बिस्वा, आ0नं0

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

293रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा कुल कीता 6 कुल रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। प्रतिवादीगण की उक्त नवीन आराजी नम्बर 292 व 293 के साबिक आराजी नम्बर 277, 275, 276 है।

2. वादीगण की वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में से आ0नं0 272 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, आ0नं0 274 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा कुल कीता 02 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा जिसके साबिक आ0नं0 257/1 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा, आ0नं0 257/2 रकबा 10 बिस्वा कुल कीता 02 कुल रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा है जिसके पड़ौस पूर्व में भैरू पिता तुलछा कुमावत व दुर्गा पिता भैरू गुर्जर, पश्चिम में नाथू पिता गोकल भील, उत्तर में देबी पिता हीरा गुर्जर, देबी, जैराम पिता प्रताप कुम्हार के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दक्षिण में जयराम पिता देबी भील के मध्य स्थित है।

3. यह कि वादीगण की साबिक आ0नं0 257/1 व 257/2 कुल रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा के नवीन रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा बनते हैं जिस पर वादीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं लेकिन भूप्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नवीन आ0नं0 272, 274 जिसका रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज की है। इस प्रकार 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि कम दर्ज की है जो दुरूस्त योग्य है।

4. यह कि वादीगण की उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा में प्रतिवादीगण की साबिक आ0नं0 275, 276, 277 कुल कीता 3 कुल रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा का नई जरीब के अनुसार 05 बीघा 18 बिस्वा बनता है लेकिन उक्त आराजीयात के नवीन आ0नं0 292, 293 कुल कीता 02 कुल रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा दर्ज कर दिया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजीयात का रकबा कम कर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की आराजीयात का रकबा बढा दिया गया जो गलत होकर दुरूस्त होने योग्य है। हाल ही में दिनांक 03.12.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवायी गयी व मौका पर्चा बनाया गया जिसमें प्रतिवादीगण की आराजी में हम वादीगण के कब्जे काश्त में पायी गयी व प्रतिवादीगण द्वारा हम वादीगण को जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया इस पर वादीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकलें व नक्शे की नकलें प्राप्त की तब वादीगण को सर्वप्रथम जानकारी हुई। प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज रकबे की आड में वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल करने व आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को नाथड़ियास की आराजी नम्बर 292 व 293 से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व न ही किसी अन्य से करावे व वादीगण को उक्त आराजी का शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण/खुर्द बुर्द नहीं करें।

5. यह कि वादीगण की साबिक आ0नं0 257/1, 257/2 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा के नवीन आ0नं0 272, 274 का कुल रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा दर्ज नहीं कर 05 बीघा 19 बिस्वा ही दर्ज किया व वादीगण के रकबे में से 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की नवीन आराजी नम्बर 292 व 293 में मिला दिया। जबकि प्रतिवादीगण की उक्त दोनों आराजीयात का साबिक रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

06 बीघा 19 बिस्वा के बजाय 05 बीघा 18 बिस्वा ही दर्ज होना चाहिए इस प्रकार वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के खाते में अधिक दर्ज कर दी। इस कारण वादीगण राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 292 व 293 में से 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि कम करा अपने खाते की आ0नं0 272 व 274 में दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना सूचना दिए कैम्प कोर्ट में कानून के खिलाफ निर्णय दिनांक 07.07.2017 को किया जिसकी जानकारी वादी/अपीलाण्ट्स को दिनांक 24.10.2017 को हुई व नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 26.10.2017 को नकल प्राप्त अविलम्ब अपील प्रस्तुत की। जानकारी दिनांक से अपील अंदर अवधि पेश है। निर्णय वादीगण/अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में किया है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे एवं अपील मियाद में शुमार फरमाई जावे।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2017

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट खेराबाद में रखने बाबत कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 की आपसी मिलीभगती से निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया । जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा अपने विरूद्ध दिनांक 20.03.2013 को पारित एक तरफा आदेश को पुनः दो तरफा कराए जाने हेतु अधिवक्ता श्री एस0एल0आगाल ने अपना अधिकार पत्र एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 के तहत दिनांक 13.06.2013 को प्रस्तुत किया । प्रकरण में प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किया गया। तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । जो निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट को एवं न ही उसके अधिवक्ता को कोई सूचना दी एवं पत्रावली को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

12. प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 ने बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में लोक अदालत शिविर खेराबाद में निर्णय पारित किया जिसकी जानकारी थी एवं विलम्ब के जो कारण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्शाए हैं वे उचित नहीं है। यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जो निरस्त फरमाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय स्तर से लोकअदालत शिविर खेराबाद की सूचना सभी पक्षकारान को दी गई परन्तु अपीलाण्ट जानबूझ कर कैम्प में उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसके उचित होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड तथा पत्रावली का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92 ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया । जिसे दिनांक 07.02.2013 को पंजीबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.02.2013 नियत की गई। दिनांक 27.02.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्मन तामील इन्तजार में रखते हुए आगामी पेशी 20.03.2013 नियत की गई। इसी बीच दिनांक 14.03.2013 को आदेशिका संधारित करते हुए प्रकरण को जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 05. 03.2013 के अनुसरण में स्थानान्तरित किए जाने की संधारित कर दी गई। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा से स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किए जाने की आदेशिका अंकित है। परन्तु उक्त आदेशिका किस न्यायालय में संधारित हुई अर्थात प्रकरण स्थानान्तरण के पश्चात किस न्यायालय में दर्ज की गई आदेशिका के नीचे न्यायालय की कोई सील नहीं है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ में स्थानान्तरित किया उसकी अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 व 2 को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किए इसके बावजूद दिनांक 20.03.2013 को इनके विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री एस0एल0आगाल के द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए पुनः दो तरफा का प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 07 के तहत दिनांक 13.07.2013 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल वकील वादीगण/प्रत्यर्थीगण को दी गई। उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण/प्रतिवादी सं0 01 व 02 के विरूद्ध पारित एक तरफा आदेश दिनांक 20.03.2013 यथावत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना नहीं किया जाना स्पष्ट होता है।

14. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण को बिना सुने प्रकरण को लोक अदालत शिविर खेराबाद में रखकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो अपास्त योग्य है। उक्त कथन की ताईद में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2015 को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2017 से पूर्व की आदेशिका दिनांक 22.02.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2017 संधारित है जिसमें पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकीय कार्य में रहने से पत्रावली आगामी दिनांक 07.06.2017 नियत की गई परन्तु दिनांक 07.06.2017 की कोई आदेशिका अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संधारित नहीं है। फिर भी सीधे ही प्रकरण में दिनांक 07.07.2017 को कोर्ट कैम्प खेराबाद में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। कोर्ट कैम्प खेराबाद में प्रकरण को सुनवाई हेतु दिनांक 07.07.2017 को रखे जाने सम्बन्धी कोई सूचना पत्र वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जारी होना नहीं पाया जाता है। पत्रावली में लोक अदालत /कैम्प कोर्ट खेराबाद में दिनांक 19.06.2017 को उपस्थित होने सम्बन्धी सूचना पत्र जारी किए जो पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली में जो सूचना पत्र जारी किए हैं वे वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 को जारी है जिन पर प्रत्यर्थी नारायण पिता त्रिलोक गुर्जर की तामील होना प्रतीत होता है । इसी प्रकार अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 के नाम उक्त दिनांक का सूचना पत्र जारी हुआ जो उसके पति द्वारा तामील लेना प्रतीत होता है परन्तु दिनांक 19.06.2017 के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई आदेशिका संधारित नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रियाओं के तहत जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

15. उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ को स्थानान्तरित किए जाने सम्बन्धी अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को कोई सूचना पत्र जारी नहीं होते हुए उनके विरूद्ध दिनांक 20.03.2013 को विधि विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित किया है। यहां तक कि प्रकरण में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का आदेश 09

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियम 07 का प्रार्थनापत्र अनिर्णित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण कोर्ट कैम्प खैराबाद तहसील हमीरगढ में दिनांक 07.07.2017 को किए जाने की कोई सूचना अपीलार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट खेराबाद में बिना अपीलार्थीगण को सुने एवं पक्षकारान उपस्थिति में विधि विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 5-11-19 को उपस्थित रहें।

17. निर्णय आज दिनांक 05.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/330/2017

उनवान

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी सोहनलाल लढा निवासी हरणी महादेव रोड़, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा
2. श्रीमती माया देवी पत्नी राजेश लढा निवासी हरणी महादेव रोड़, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भूरालाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. श्री माधुलाल पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
3. श्री सुखदेव पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
4. गीता पुत्री चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
5. श्री बालू पिता चुन्ना गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
6. श्री नारायण पिता त्रिलोक गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
7. श्रीमती एजी पत्नी त्रिलोक गुर्जर निवासी नाथड़ियास तहसील एवं जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
9. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण
संख्या 240/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/330/2017 मे **उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 05.09.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एस.एल.आगाल प्रत्थर्थी संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता श्री पी0आर0चौधरी एवं प्रत्यर्थी 3 व 4 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 05.09.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 05.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भ प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेसपोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस